भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 541

दिनांक 21.07.2022 को उत्तर देने के लिए

भारतीय प्रवासियों को मजदूरी का भुगतान न करना

541. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के बाहर काम करने वाले कितने भारतीय कामगारों को मार्च 2020 और दिसंबर 2021 के बीच मजदूरी या वेतन का भुगतान नहीं किया गया था;

(ख) क्या सरकार ने उन भारतीय कामगारों, जिन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया था, को आर्थिक सहायता प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया है कि एशिया में प्रवासी मंच के अनुसार, जून 2020 और दिसंबर 2021 के बीच दक्षिण एशिया में भारतीय प्रवासी कामगारों को मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने या उनको दिए जाने वाले लाभ प्रदान नहीं किए जाने के कारण सबसे अधिक नुकसान हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश के बाहर काम करने वाले भारतीय कामगारों से भारतीय मिशनों और केंद्रों को 17,848 श्रम-संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें मार्च 2020 और दिसंबर 2021 के बीच मजदूरी या वेतन का भुगतान न किया जाना शामिल है।

नौकरी छूटने, वेतन में कटौती आदि की घटनाएं विदेश स्थित हमारे मिशनों और केंद्रों के संज्ञान में आई हैं। जहां कहीं आवश्यक था, मुद्दों के समाधान के लिए ऐसे मामलों को मिशनों और केंद्रों द्वारा संबंधित कंपनियों के साथ तुरंत उठाया गया। भारतीय मिशनों और केंद्रों ने मुद्दों को सुलझाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करके भारतीय कामगारों और उनके नियोक्ताओं के बीच चर्चाएं आयोजित करने में सहायता प्रदान की। उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकों के दौरान इन मुद्दों को मेजबान देशों की सरकारों के साथ भी उठाया गया। इस प्रक्रिया के माध्यम से कई मामलों का समाधान किया गया है। इसके अलावा, कुछ देशों ने प्रवासी कामगारों सहित श्रमिकों के लिए कल्याणकारी सहायता उपाय भी किए हैं। साथ ही, हमारे मिशनों और केंद्रों ने भारतीय समुदाय कल्याण कोष का सीधे उपयोग करके और सामुदायिक संघों के साथ समन्वय करके

भारतीयों को सक्रिय सहायता प्रदान की है। इसमें आवास और भोजन, हवाई मार्ग, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल आदि से संबंधित आवश्यकताओं के आधार पर खर्च शामिल थे।

मदद पोर्टल के माध्यम से भी अनेक मामलों का समाधान किया जा चुका है। पोर्टल में वेतन संबंधी विवादों के लिए अलग-अलग श्रेणियां हैं, जैसे अनुबंध संबंधी समस्या, क्षतिपूर्ति, वेतन/बकाया, श्रमिकों से दुर्व्यवहार, प्रायोजन संबंधी समस्याएं आदि ।

*****